



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9117

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 815 वर्ष 2026

अमितआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : रामेश्वर गौड़, रन्नूलाल यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि., मुकुल कुमार मिश्रा, उमाकांत चौधरी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री रामेश्वर गौड़, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री मुकुल कुमार मिश्रा, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा एस.टी. संख्या 2269/2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 364 वर्ष 2025, धाराओं 115(2), 351(3), 352, 110, 103(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना - कोतवाली, जिला - महाराजगंज से उत्पन्न है, में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने सह-अभियुक्त संदीप के साथ समता का दावा किया है जिसे इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 38854 वर्ष 2025 में दिनांक 13.11.2025 को पारित आदेश के द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप हैं। आवेदक को अपराध के लिए कोई उद्देश्य नहीं सौंपा गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 10.7.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके विपरीत, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है कि उक्त अभियुक्त संदीप का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, बल्कि सह-अभियुक्त अमित (आवेदक) के साथ उसका संबंध दर्शाया गया था और उक्त अभियुक्त की कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं हुई थी, अतः सह-अभियुक्त संदीप का प्रकरण आवेदक से भिन्न आधार पर है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है।
7. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक ने अपने स्वयं के साले और सह-अभियुक्त वकील के साथ मिलकर उक्त अपराध कारित किया। आवेदक और सह-अभियुक्त वकील प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं। यह सूचनाकर्ता के पिता की हत्या का मामला है और सूचनाकर्ता का भाई भी घटना में घायल हुआ था जिसने भी आवेदक को घटना में नामजद किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट समय पर दर्ज की गई है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक और सह-अभियुक्त वकील को मृतक व्यक्ति और घायल व्यक्ति पर हमला करने की भूमिका सौंपी गई है, मुझे यह मामला आवेदक को जमानत प्रदान करने योग्य नहीं प्रतीत होता।
9. जमानत आवेदन गुणहीन पाया जाता है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।
10. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि उच्चतम न्यायालय के **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य, 2015 (3) एससीसी 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, (2017) 5 एससीसी 702** के हालिया निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत विचारण न्यायालय में लंबित उपर्युक्त प्रकरण का, यदि कोई विधिक बाधा न हो, शीघ्रतापूर्वक निपटारा किया जाए।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ किए गए अवलोकन केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त अवलोकनों का विचारण के दौरान प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

14 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।